न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट, सोनभद्र
पीठासीन अधिकारी– (Abid Shamim)**, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06259**
वारण्ट एण्ड सम्मन केसेज संख्या–01 सन् 2024
सुशीला **बनाम** मुन्ना व अन्य
थाना–राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

–:आदेश पत्रकः–

11.07.2025

पत्रावली तलबी आदेश हेतु नियत है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिनी सुशीला पत्नी नवमी, निवासी ग्राम बढ़ौली, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र की ओर से विपक्षीगण मुन्ना, गुलपतियां, अनिल तथा संतोष के विरूद्ध संस्थित परिवाद पत्र का सारांश इस प्रकार है कि परिवादिनी अनुसूचित जाति की गरीब महिला है। परिवादिनी ने विपक्षी मुन्ना को दिनांक 10.07.2021 को एक लाख पचास हजार रूपये कर्ज दिया था। विपक्षी ने कहा कि वह 06 माह के अन्दर रूपये दे देगा परन्तु बार–बार मांगने पर भी उसने रूपये वापस नहीं किये। दिनांक 26.07.2022 को समक्ष गवाहान एक याददाश्तनामा समक्ष गवाहान लिखा गया और विपक्षी द्वारा पुनः कहा गया कि वह पैसा वापस कर देगा परन्तु कई माह बीत जाने के बाद भी उसने रूपये वापस नहीं किये। माह नवम्बर 2023 तक विपक्षी ने रूपया वापस करने के लिए कहा था लेकिन विपक्षी ने दिनांक 06.12.2022 को रू0 5000/– एवं दिनांक 09.01.2023 को रू0 5000/– एवं दिनांक 08.02.2023 को रू0 5000/– वापस किया। उसके बाद से विपक्षी ने परिवादिनी को एक भी रूपया वापस नहीं किया। दिनांक 31.10.2023 को समय लगभग 03 बजे दोपहर परिवादिनी की मुलाकात विपक्षीगण मुन्ना व गुलपतियां व अनिल तथा संतोष से हुई तो परिवादिनी अपने रूपये की मांग उनसे करने लगी तो वह लोग उग्र हो गये और परिवादिनी को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मां बहन की गालियां देने लगे। जब परिवादिनी ने विरोध किया तो विपक्षीगण परिवादिनी के साथ छेड़छाड़ करते हुए मार पीट किये तथा धमकी दिये कि दोबारा रूपये की मांग की तो जान से मार देंगे। परिवादिनी ने घटना की सूचना पुलिस को दिया। पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर यह परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

परिवादिनी की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में धारा–200दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवादिनी ने स्वयं को परीक्षित कराया है तथा धारा–202दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत सी0डब्लू0–1 लालमणि भारती तथा सी0डब्लू0–2 संतोखिया को परीक्षित कराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र एवं अन्य उच्चाधिकारियों को सम्बोधित प्रार्थना पत्र की प्रति, रजिस्ट्री की रसीदें, याददाश्तनामा की तीन प्रतियां तथा जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल किये गये हैं।

Digitally signed by ABID SHAMIM
Date: 2025.07.11 15:40:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sonbhadra

परिवादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–200दं0प्र0सं0 में परिवाद पत्र में वर्णित घटना का समर्थन किया है तथा परिवादिनी की ओर से परीक्षित साक्षीगणों ने भी अपने बयानों के माध्यम से परिवादिनी द्वारा धारा–200दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दिये गये बयानों का समर्थन किया है।

परिवादिनी द्वारा परिवाद पत्र में किये गये कथनों एवं धारा–200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत शपथपूर्वक दिये गये बयानों व समर्थन में परीक्षित साक्षीगण के बयानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विपक्षी मुन्ना के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–323, 504, 506, 406 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत तथा विपक्षीगण गुलपतियां, अनिल व संतोष के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है। अतः उपरोक्त विपक्षीगण उपरोक्त अपराध के विचारण के लिए आहूत किए जाने योग्य हैं।

<u>–:आदेश:–</u>

अभियुक्तगण **मुन्ना** को धारा–323, 504, 506, 406 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट तथा विपक्षीगण **गुलपतिया, अनिल व संतोष** को धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है।

परिवादिनी द्वारा धारा–204दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पैरवी अन्दर सप्ताह किये जाने पर तथा **गवाहान सूची दाखिल किए** जाने के उपरान्त अभियुक्तगण को जरिए समन दिनांक 29.08.2025 के लिए तलब किया जाता है।

(आबिद शमीम),
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट,
सोनभद्र

दिनांकः 11.07.2025